आवश्यक/मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रकरण/तत्काल

संख्या: 42/2016/3028 /12-2-2016-14/2016

प्रेषक,

रजनीश गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 08 नवम्बर, 2016

विषय:मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओरिजनल अप्लीकेशन संख्या-21/2014 वर्धमान कौशिक एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 04 नवम्बर, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

वाद संख्या: 21/2014 वर्धमान कौशिक एवं अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 04 नवम्बर, 2016 को सुनवाई के पश्चात आदेश पारित किए गए हैं जिसके कार्यकारी अंश निम्नवत हैं:-

"..... Let the Status report be filed by 08th November, 2016. All the concerned States shall place on record the action taken in furtherance to the order of Tribunal in relation to prohibition on burning of agricultural residue. Complaints have been received by the registry of the Tribunal where various instances of construction material lying in the open, uncovered and construction activity is being carried on in violation of the earlier orders of the Tribunal. It is also brought to the notice of the Tribunal that the waste burning particularly plastic is quite rampant and causing serious air pollution. Let the authority particularly deal with this aspect. All the corporations must ensure that construction material is not kept on the road and that the directions contained in our previous orders should be fully complied with, without default whatsoever, on 08th November, 2016 they will report as to the compliance of the directions issued by the Tribunal in relation of three main sources of air pollution i.e. construction activity, burning of agricultural residue and other waste and vehicular pollution....."

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. उल्लेखनीय है कि पर्यावरण विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या: 2845/55-पर्या-15-99(पर्या)/2013 दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 द्वारा खेतों में कृषि अपशिष्टों को जलाये जाने को प्रतिबंधित किया गया है। उक्त के अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि कृषि अपशिष्ट को जलाने से प्रतिबंधित किए जाने हेतु मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नम्बर-118/2013 में ई0ए0नं0-12/2016 विक्रान्त कुमार तोंगड बनाम इन्वायरमेंट पाल्यूशन (प्रिवेन्शन कन्ट्रोल) अथार्टी एवं अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 10 दिसम्बर, 2015 में कृषि अपशिष्ट को जलाने वाले व्यक्ति के विरूद्ध निम्नलिखित कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं:-

All the states which have issued Notification prohibiting agriculture crop residue burning shall ensure that the Notifications are enforced rigorously and proper action is taken against the defaulters. Any person or body that is found offending this direction would be liable to pay Environmental Compensation as follows:

Small land holders having an area less than 2 Acres shall pay Environmental Compensation of Rs. 2500/- per incidence.

Land holders having land area more than 2 Acres but Less than 5 Acres shall pay Environmental Compensation of Rs. 5000/- per incidence.

Land holders having land area more than 5 Acres shall pay Environmental Compensation of Rs. 15000/- per incidence.

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 अधिकरण के उक्त आदेशों के क्रम में कृषि अपशिष्टों को जलाये जाने हेतु निषिद्ध किए जाने के सम्बन्ध में मण्डल तथा जिला स्तर पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु जिला स्तर पर उपलब्ध अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी/ग्राम विकास विभाग के संबंधित अधिकारी/ कृषि विभाग के सभी अधिकारियों का अपेक्षित सहयोग प्राप्त करते हुए उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

4. मण्डल स्तर पर संयुक्त कृषि निदेशक एवं जिला स्तर पर उप कृषि निदेशक को नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारियों के मार्ग-निर्देशन में उक्त नोडल अधिकारी कार्य करते हुए मासिक/पाक्षिक बैठकें आयोजित कर प्रस्तर-2 में उल्लिखित निर्देशों पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे। समस्त उप कृषि निदेशक मासिक कार्यवाही का अनुश्रवण कर संकलित सूचना संलग्न निर्धारित प्रारूप पर मण्डल स्तर पर संयुक्त कृषि निदेशक को उपलब्ध करायेंगे। मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा जनपद स्तर से प्राप्त सूचना संकलित कर कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि निदेशालय स्तर पर कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश एक अपर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कृषि निदेशक स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करेंगे एवं अपने स्तर पर अनिवार्य रूप से पाक्षिक/मासिक समीक्षा करते हुए प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।

कृपया उक्त निर्देशों का तत्काल कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(रजनीश गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 42 /2016/3028 (1)/12-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु प्रेषित:-

1. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कृषि अपशिष्ट को जलाये जाने से निषिद्ध किए जाने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से संबंधित सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक प्रारूप

क्र0सं0	जनपद का नाम	कृषि अपशिष्ट जलाये जाने के संज्ञान में आये प्रकरण	कृत कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।